राजस्व विविध GCMS नंबर 2023/179 बअनवान भबूत सिंह बनाम तहसीलदार बाली
राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री पूर्णेश बोहरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(क)(घ) सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकील वादी श्री हनुमान सिंह चौहान व प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादीगण ने उक्त वाद वादग्रस्त भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा न. 421 रकबा 0.34 हैक्टर पर पिछले 70–80 वर्षो से काबिज होने से घोषणा खातेदारी का पेश किया है। तथा साथ ही वाद में वर्णित किया है कि नामान्तरकरण सं. 609 दिनांक 19.5.2022 वादीगण के हितो के विरूद्व स्वीकृत होने से वाद पेश किया है। अपने वाद पत्र में यह भी वर्णित किया की वादीगण के पिताजी और ताउ का नाम श्री जब्बर सिंह जी पुत्र भैरो सिंह था तथा प्रतिवादी सं. 2 से 9 के पिता का नाम जब्बर सिह पुत्र जयसिंह जी था। प्रतिवादीगण व वादीगण की भूमि पास–पास होने से उक्त नामान्तकरण गलत रूप से खीमसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर जब्बर सिंह पुत्र जयसिह के वारिसान के नाम दर्ज करने से वादीगण उक्त नामान्तरण के विरूद्व उक्त वाद प्रस्तुति के अधिकारी होने से वाद पेश किया है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी स. 2 से 3 की दलील है कि वादी स्वयं के कथनो से उक्त वाद में वादहेतुक उत्पन्न नही होने से वादी का वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है इस सबंध में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानुनी दृश्टांत आरआरडी 2019 पेज 133 में प्रतिपादित सिद्वान्त भी सटिक है क्योंकि वादग्रस्त भूमि के न तो कभी वादी के पिता खातेदार रहे है, एवं न ही वादीगण स्वयं इस भूमि के कभी खातेदार रहे है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रश्न है, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। जिससे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियो में बल होने से वादीगण के उक्त वाद में प्रथम दृष्ट्या वादहेतूक उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वादीगण स्वयं अपने वादपत्र में स्वीकार करते हैं कि वादीगण के ताउ व प्रतिवादीगण के पिता का एक ही नाम था तथा नामान्तरकरण संख्या 609 गलत तौर पर दाखिल व स्वीकृत हुआ। कहीं पर यह वर्णित नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता अथवा दादा के खातेदारी की रही हो। धारा 151 सी.पी.सी. में विधि के प्रावधानो अनुसार न्यायालय इतना लाचार व बेबस नहीं है, कि अकारण ही बिना वाद हेतूक के प्रकरणों में आगे की कार्यवाही करें। जिससे प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रतिवादी अंर्तगत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादीगण द्वारा ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.34 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. भबूतसिंह पुत्र खीमसिंह
2. केसरसिंह पुत्र खीमसिंह
3. रामसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी एवं प्रतिनिधि श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय बाली जिला पाली (राज)
2. नरपतसिंह पुत्र जबरसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र जबरसिंह
4. उबरा कंवर पुत्री जबरसिंह
5. पंकु कंवर पत्नी स्व जब्बरसिंह
6. मंजु कंवर पुत्री जबरसिंह
7. लील कंवर पुत्री जबरसिंह
8. शोभा कंवर पुत्री जबसिंह
9. सागर कंवर पुत्री जबसिंह जाति से राजपूत निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/179

वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-04-26 को जारी किया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner